

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आयकर आगणन ज्ञापक (Income Tax Calculation Memo)

वित्तीय वर्ष 2016-17 (कर निर्धारण वर्ष 2017-18)

(आयकर कलकुलेशन मेमो विलम्बतम दिनांक 15.01.2017 तक अनिवार्य रूप से जमा किया जाए)

पैन		आई.डी.नं०	
पूरा नाम :		जन्मतिथि	सेवा निवृत्त/त्याग पत्र तिथि/योगदान/स्थानान्तरण अवधि से तक
गृह सम्पत्ति का पता :		स्थानीय पता	
1.	वेतन व भत्तों से आय	रु०
2.	कुल अनुलाभों का मूल्य धारा 17(2) के अनुसार	रु०
3.	वेतन के अतिरिक्त लाभों का कुल मूल्य धारा 17(3) के अनुसार	रु०
4.	योग-(1+2+3)	रु०
5.	(i) मकान किराये भत्ते की छूट धारा 10(13ए)	रु०
नोट:- मकान किराया भत्ता की छूट प्राप्त करने हेतु आयकर संगणना फार्म के साथ मकान मालिक से प्राप्त किराये की रसीद तथा मकान मालिक के पैन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।			
	(ii) धारा 10(14) के अधीन छूट, यदि कोई है,	रु०
अ-	वाहन भत्ता/परिवहन भत्ता (रु० 1600/- प्रतिमाह तक) (Handicaped की दशा में 3200/-)	रु०
ब-	वर्दी भत्ता/ड्राइवर का निश्चित यात्रा भत्ता	रु०
स-	विकलांग वाहन भत्ता	रु०
द-	पर्वतीय विकास/विशेष सीमान्त भत्ता	रु०
6.	वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर प्रभाय आय 4-5 (5i + 5ii)	रु०
7.	कारोबार या वृत्ति से आय	रु०
8.	पूँजी अभिलाभ	रु०
9.	गृह सम्पत्ति से आय-हानि(भवन ऋण ब्याज 2.00 लाख तक) प्रमाणपत्र संलग्न	रु०
10.	अन्य स्रोतों से आय	रु०
11.	जोड़ी जाने वाली अन्य व्यक्ति की आय	रु०
12.	सकल कुल आय (6 से 11) Gross Total Income	रु०
13.	अध्याय 6 ए के अधीन कटौतियाँ:-		
(क)	धारा 80डी:- मेडीक्लेम प्रीमियम स्वयं एवं परिवार हेतु अधिकतम रु० 25000/- अथवा 30,000/- (वरिष्ठ नागरिक हेतु)	रु०
(ख)	धारा 80डी०डी०:- विकलांग आश्रित पर व्यय कटौती 75,000/- या 1,25,000/- देय है।	रु०
(ग)	धारा 80डी०डी०बी०:- स्वयं या अपने ऊपर व्यय अधिकतम रु० 40,000/- तक।	रु०
(घ)	धारा 80ई०:- करदाता द्वारा भारत में उच्च शिक्षा हेतु ऋण के ब्याज अदायगी।	रु०
(च)	धारा 80यू०:- स्वयं विकलांगता से पीड़ित को अधिकतम रु० 75,000/-, 1.25 लाख की कटौती देय है।	रु०
14.	योग:- (क से च तक)	रु०
15.	सकल कुल आय (Total Income) (12-14)	रु०
16.	धारा 80सी० के अन्तर्गत निवेश/विनियोजन का विवरण (अधिकतम रु० एक लाख):-		
(ए)	जी०आई०एस०	रु०
(बी)	ई०पी०एफ०/जी०पी०एफ०	रु०
(सी)	जीवन बीमा प्रीमियम की अदायगी	रु०
(डी)	यूलिप अंशदान 1971	रु०

(ई)	पी.पी.एफ.(अधिकतम 1,50,000.00/-)/सी.टी.डी.योजना 1965	रु0	
(एफ)	भवन ऋण क्रय/निर्माण की पुनर्दायगी(सीमा रहित)	रु0	
(जी)	राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवाँ निर्गम)	रु0	
(एच)	राष्ट्रीय बचत पत्रों पर उपार्जित ब्याज	रु0	
(आई)	नोटीफाइड स्कीम 2011-12 क्लाज 23 डी के अधीन		
(जे)	राष्ट्रीय बचत योजना 1992	रु0	
(के)	दो बच्चों की ट्यूशन फीस-अंशदान, सीमा रहित (भारतीय संस्थाओं में शिक्षा अर्जन पर देय)	रु0	
(एल)	पूँजी के पात्र निर्गम बाण्ड (शेयर/डिबेन्चर्स)में अभिदान	रु0	
(एम)	पेन्शन योजना में अभिदान (80CCC/80CCD)	रु0	
(एन)	रिटायरमेन्ट बेनिफिट स्कीम में अंशदान	रु0	
(ओ)	डाकघर/शेड्यूल बैंक 5 वर्षीय सावधि जमा।	रु0	
(पी)	राष्ट्रीय नाबार्ड बैंक में अंशदान	रु0	
17.	कुल विनियोजन क्र0-16 का योग अधिकतम रु0 1,50,000/-	रु0	
18.	U/S 80TTA (बचत खाते पर ब्याज) अधिकतम 10,000/-	रु0	
19.	कुल आय 15-(17+18) (Total Income)	रु0	
20.	कुल आय पर आयकर (Tax on Total Income)	रु0	
(i)	रु0 2,50,000/- तक पुरुषों तथा महिलाओं हेतु	रु0 -शून्य-	
(ii)	रु0 2,50,000/ से अधिक रु0 5,00,000 तक-10%	रु0	
(iii)	रु0 5,00,000/- से अधिक रु0 10,00,000/- तक	रु0 25000/- + उस रकम का 20% जहाँ रु0 5,00,000 से अधिक परन्तु रु0 10,00,000 तक हैं	रु0
(iv)	रु0 10,00,000 से अधिक	रु0 125000/- + उस रकम का 30% जहाँ रु0 10,00,000 से अधिक है।	रु0
21.	अधिभार सहित आयकर(यदि आय एक करोड़ से अधिक है तो अधिभार 10 प्रतिशत देय है)	रु0	
22.	सकल देय आयकर (20+21)		
23.	घटाये टैक्स रिबेट ने 87(A) Rs 5000 upto 5,00,000.00		
24.	शेष सकल देय आयकर (कॉलम 22-23)		
25.	जोड़िए:- शिक्षा उपकर, सकल देय आयकर का 02 प्रतिशत (कॉलम 24 का)	रु0	
26.	योग:- (कॉलम 24+25)	रु0	
27.	अतिरिक्त उच्च शिक्षा उपकर, सकल देय आयकर का 01 प्रतिशत (कॉलम 24 का)	रु0	
28.	योग (24+25+27)	रु0	
29.	घटाइए : धारा 89(i) के अधीन राहत (Attach Detail)	रु0	
30.	घटाइए - वेतन से माह दिसम्बर 2016 तक की गयी आयकर की कुल कटौती	रु0	
31.	शेष देय आयकर {28-(29+30)}	रु0	
32.	वेतन से मासिक कटौती प्रतिमाह (जनवरी 17 से फरवरी, 17 तक) (Amount required to be deposited each month)	रु0	

मैं पुत्र/पुत्री श्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि इस आयकर परिकलन ज्ञापक, इसके साथ संलग्न उपबन्धों व कथनों में दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण एवं सत्य है और कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के आयकर के लिए कर प्रभार्य आय के सम्बन्ध में है।

दिनांक : ह0/-
स्थान : नाम -
संलग्नक : 1. आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ। पद -
2. अनुलाभों का मूल्य। अनुभाग -